



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-03/08/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अशोक कुमार सिंह को एनडीपीएस के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 149/2000, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0- 50/2000, धारा- 21/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक कुमार सिंह पुत्र अम्बिका निवासी- 68/109, इक्ष्वरगंगी जैतपुरा, जनपद वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 03/08/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0- 149/2000, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा मु0अ0सं0- 50/2000, धारा- 21/22 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी